treated on the same footing as investments of resident Indian nationals;

(5) They will be allowed to invest, with repatriation rights, in any new or existing company upto 40% of the capital issued by such company;

(6) They can purchase shares of companies quoted on the stock exchanges subject to specified limits;

(7) Facilities for investment in non-resident (external) accounts and in Indian companies will be extended to companies, partnership firms, trusts, societies and other corporate bodies owned, to the extent of at least 60% by non-residents of Indian origin ;

(8) Tests of 'residence' in India laid down for taxation purposes are proposed to be liberalised deleted in some respects ;

(9) Non-resident Indians who either themselves set up, or invest 20 per cent or more in an enterprise in India, for production of electronic components, electronic instruments, tape recorders, electronic teaching aids, indusrrial & process control systems and some other electronic products, will be allowed to import the entire machinery for the purpose under Open General Licence, without the need for indigenous clearance, if it has been purchased out of their foreign exchange earnings abroad ; and

(10) The facilities available to doctors and highly qualified scientists for import of their professional equipment on their return to India, have been substantially liberalised. Any such equipment used by them for at least one year abroad can be imported into India irrespective of its value.

बस्तर में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

*805. **श्री केयूर भूषण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम को आशय पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बोधघाट परियोजना के लिए सीमेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बस्तर में सीमेंट संयन्त्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) प्रस्तावित सीमेंट संयन्त्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(घ) इस संयन्त्र की स्थापना का कार्य कब शुरू किया जायेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मध्य प्रदेश की तहसील जगदलपुर जिला बस्तर के प्रतिवर्ष 10 लाख मी० टन क्षमता के एक सीमेंट संयन्त्र की स्थापना के लिए सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को 1-4-1982 को एक आशाय पत्र जारी किया गया है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने इस क्षेत्र में चूना पत्थर के लिए अन्वेषण किया है तथा चूना पत्थर निक्षेपों का खनन पट्टा लिया है। इस परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने सम्बन्धी कार्य हाथ में ले लिया गया है तथा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने और परियोजना अनुमानों पर स्वीकृति मिल जाने के बाद इस परियोजना का का कार्य आरम्भ किया जाएगा।